सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 52/2017 **दायर तारीख :– 10-07-2017**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— वादी

बनाम

1. अनिल कुमार जैन पुत्र आत्माराम जैन जाति महाजन निवासी डब्लू जेड 238 बी, साद नगर, पालम कॉलोनी नई दिल्ली।
2. डीम लाइन कालोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स 404 माइल स्टोन, गांधीनगर मोड, जयपुर जरिये पार्टनर विमल शुक्ला।

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.07.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि पटवार हल्का बजरंगपुरा के खसरा नंबर 1307/0.64 हैक्टेयर में हिस्सा 4000/25100, 1318/0.75, 1319/1/0.50 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं खसरा नंबर 1319/2/0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2072–2075 है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के खसरा नंबर 1307/0.64 पर टीनशेड वाला पक्का कमरा बनाकर, डीम लाइन कॉलोनाइजर्स एवं डवलपर्स लिखा हुआ बोर्ड लगा रखा है, एवं खसरा नंबर 1318/0.75, 1319/1/0.50, 1319/2/0.25 हैक्टेयर पर मौके पर अवैध रूप से ग्रेवल सडक बना रखी है। जिसके दोनों तरफ सीमेन्ट के खम्भे लगे हुए है, एवं प्लाटिंग के रूप में चारदीवारी बना रखी है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि [illegible] में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्व हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को बिना [illegible] के अकृषि के उपयोग में ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:43:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा रही है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, खसरा नंबर 1318 व 1319 नकल जमाबंदी संवत 2072–2075, खसरा नंबर 1307 नकल जमाबंदी संवत 2072–2075, फर्द मौका दिनांक 24.05.2017 आदि पेश किये।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवंत् 2072–2075 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 1307/0.64 में हिस्सा 4000/25100, 1318/0.75, 1319/1/0.50 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं खसरा नंबर 1319/2/0.25 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के खसरा नंबर 1307/0.64 पर टीनशेड वाले पक्के कमरे पर डीम लाइन कालोनाइजर्स एवं डवलपर्स लिखा हुआ बोर्ड लगा रखा है, एवं खसरा नंबर 1318, 1319/1, 1319/2 पर मौके पर अवैध रूप से ग्रेवल सडक बना रखी है। जिसके दोनों तरफ सीमेन्ट के खम्भे लगे हुए है, एवं प्लाटिंग के रूप चारदीवारी बना रखी है, तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी बिना भू–रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादी आराजी मुतनाजा को केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तो का उल्लघंन है। चूंकि प्रतिवादी के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादी कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। राजस्थान टीनेन्सी [illegible] में यह स्पष्ट है कि ''अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में भूमि के लिए अभिधारी [illegible] प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:43:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उससे असंगत कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा''। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने कृषि से इतर उपयोग किया है। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व उक्त खसरा नंबरों पर ग्रेवल सडक व टीनशेड वाले पक्के कमरे पर बोर्ड लगाकर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार)का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम बजरंगपुरा के खसरा नंबर 1307/0.64 में हिस्सा 4000/25100, 1318/0.75, 1319/1/0.50 एवं 1319/2/0.25 भूमि को अकृषि उपयोग मौके पर टीनशेड वाले पक्के कमरे पर बोर्ड लगाकर व ग्रेवल सडक बनाकर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 18.07.2019 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:43:21 IST
Reason: SelfAttested